संख्या-16/2021/02/22-4-2020-48(14)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-09 फरवरी, 2021

विषयः-डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में प्रबन्ध व्यवस्था को संचालित करने हेतु विभिन्न मशीनों, उपकरणों/सामग्री के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29687/आधु-2/26-मशीन/जे0टी0एस0, दिनांक-03.12.2020 एवं पत्र संख्या-32170/आधु-2, दिनांक-31.12.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में प्रबन्ध व्यवस्था को संचालित करने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न मशीनों, उपकरणों/सामग्री का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु रू0 2.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 2,00,000/- (रूपया दो लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	वस्तु का नाम	संख्या	दर प्रति	कुल लागत
1	वाशिंग मशीन	02	39,500	79,000
2	मिक्सर	01	12,950	12,950
3	ग्रास कटर मशीन	01	38,999	38,999
4	विंडो ए0सी0	01	35,000	35,000
5	फूड वार्मर	01	25,000	25,000
6	किचेन विविध सामग्रियॉ	-	-	9,051
			योग-	**2,00,000/-**

(1) सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में की गयी निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरणों तथा मशीनों का क्रय न किया जाय।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती हो तो, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-18 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय-26-मशीनें सज्जा/ उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/290/दस/2021, दिनांक-03 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2021/02/22-4-2020, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकरी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in